निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 38/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. जगमोहन पुत्र स्व॰ हरसहाय ।
2. कृष्णा गोपाल पुत्र स्व॰ हरसहाय

समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 डॉ॰ राकेश कुमार मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम।

2 सत्यधीर पुत्र भूरमल जाति चमार निवासी वार्ड नं॰ 19, रविदास नगर, चरखी दादरी, जिला भिवानी हरियाणा ।

3 राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर ।

4 थानाधिकारी, पुलिस थाना, जयसिंहपुरा खोर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 163/2021 ब उनवानी सत्यधीर बनाम सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 163/2021 ब उनवानी सत्यधीर बनाम सरकार व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 02 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधियिम 1956 की धारा 128 के तहत पड़ौसी खातेदार काश्तकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे, लेकिन प्रार्थी सत्यधीर ने जानबूझ कर प्रार्थीगण को मुकद्दमा फरीक नहीं बनया है इससे

जिला कलक्टर
जयपुर

स्पष्ट है कि प्रार्थी सत्यवीर न्यायालय हाजा को मुगालते में रख कर निर्णय पारित करवाना चाहता है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्व अपील अधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट कथन किया है कि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है, वह गलत है। प्रार्थीगण अदालत हाजा के समक्ष जैरकार प्रकरण में व्यथित एवं प्रभावी पक्षकार है । बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये अगर कोई निर्णय पारित कर दिया जाता है, तो प्रार्थी सत्यवीर बाहूबल के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जेशुदा व काश्तशुदा भूमि को जबरन हड़प कर लेंगे। जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थीगण के पिता हरसहाय पुत्र नारायण लाल का स्वर्गवास होने के कारण उसके वारीसान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक है। इस बावत प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 7.02.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ का प्रस्तुत किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में आवश्यक रूची लेते हुये प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 15.02.2022 वास्ते जवाब एवं बहस हेतु नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण मे यदि पूर्व से कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तो सर्व प्रथम उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी॰पी॰सी॰का निस्तारण किये बिना ही उक्त प्रकरण मे अगली तारीख पेशी दिनांक 15.02.2022 वास्ते जवाब एवं बहस हेतु नियत कर दी। कोविड–19 की तीसरी लहर के चलते राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार व बार ऐसोसियेशन के अनुसार कोविड गाइड लाइन की पालना के अनुसार सभी प्रकरणों में जनरल तारीख पेशी नियत की जायेगी। अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति है, जो धनबल एवं भुजबल में प्रार्थी से अधिक है जो ऐन केन प्रकारेण प्रार्थी को उसके कदीमी कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थी द्वारा गांव में भी यह कहा जा रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है जिसके चलते वह प्रार्थीगण की कदीमी कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से अपने मन माफिक आदेश पारित करवा कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्तशुदा आराजी पर कब्जा कर लेंगे। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी महोदय कोई रूची लेकर कार्यवाही कर और उक्त प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिय छोटी छोटी तारीख पेशियां दे रहे हैं । पीठासीन अधिकारी उक्त व्यक्तियों के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किये जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है । प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। इसलिये उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थीगण मुन्तकिल प्रार्थना प्रस्तुतकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार नहीं है। प्रार्थीगण ने दिनांक 07.02.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 15.02.2022 नियत की गई है, परन्तु इससे पहले ही दिनांक 09.02.2022 को मान्य न्यायालय के समक्ष यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। अत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. प्रार्थीगण ने प्रकरण मे छोटी छोटी तारीख पेशी दिये जाने का अरोप लगाकर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण दिनांक 29.12.2021 को प्रस्तुत हुआ है जिसमें दिनांक 29.12.2021 को ही प्रथम आदेशिका लिखी जाकर आगामी तारीख पेशी 05.01.2022 नियत की गई है। इसके पश्चात दूसरी तारीख पेशी 07.02.2022 नियत की गई है। दिनांक 07.02.2022 को प्रार्थीगण द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिस पर तारीख पेशी 15.02.2022 नियत की गई है। चूंकि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बने है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 07.02.2022 को आदेश 1 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के दो दिन बाद ही दिनांक 09.02.2022 को छोटी छोटी तारीख पेशी दिये जाने का आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिससे प्रार्थीगण के आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने भी अपनी टिप्पणी में आरोपों का खण्डन किया है। सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **21.03.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर